न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 08 / 2024 आरसीएमएस नम्बरः–2021 / 94

श्रीमती अन्नो पुत्री बोवद खां पत्नि अजीज खां जाति मुसलमान निवारी ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर

------------ अपीलाण्टस

बनाम

1. श्यामबाबू यादव पुत्र श्री घनश्याम यादव जाति यादव निवासी रामकुंज कौलोनी सैंपउ रोड धौलपुर
2. तहसीलदार धौलपुर

------------------------------ रेस्पोडेण्टस

अपील व विरूद्ध नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत पुरानी छावनी, तहसील धौलपुर।

उपस्थितिः– श्री योगेन्द्र कुशवाह एडवोकेट, अपीलान्ट की ओर से
श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या01 की ओर से

दिनांक – 28.02.2025

निर्णय

अपीलाण्ट की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी ख. नं. 204 / 1 रकवा 1.2139 है0 वाके ग्राम हिन्नोदा पटवार हल्का पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार अपीलार्थी एंव अपीलार्थीया के भाई शौकीन खां , हसन खां पुत्रगण बोवद खां जाति मुसलमान भरभूजा 3 / 5 भाग के खातेदार काश्तकार थे जिसमें से अपीलार्थीया ने अपने हिस्सा 1 / 5 में से 13 विस्वा यानि 0.1615है0 भूमि अपीलार्थीया के भाई शौकीन खां, हसन खां ने अपने हिस्सा सम्पूर्ण को विक्रय रेस्पोडेन्टस संख्या 01 के पक्ष में 03.02.2012 को तहरीर कर पंजीयन कर दिया लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलार्थीया की सम्पूर्ण आराजी नामा0 संख्यार 126 दिनांक 04.04.2012 रेस्पोडेन्टस संख्यसार 1 के पक्ष में गलत रूप से इन्द्राज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थीया ने यह अपील पेश की है। अपीलाधीन आदेश न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीया ने आ.ख.नं. 204 / 1 रकवा 1.2139 है0 वाके ग्राम हिन्नोदा तहसील व जिला धौलपुर में निहित हिस्सा 1 / 5 भाग में से यानि 0.1615 है0 भूमि यानि 13 विस्वा का ही विक्रय किया अपीलार्थीया की 6.2 विस्वा यानि 0.0784 है0 भूमि शेष रही लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलार्थीया की संम्पूर्ण आराजी का नामान्तरकरण गलत रूप से रेस्पोडेन्टस संख्या 01 के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया तथा

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

राजस्व रिकॉर्ड अपीलार्थीया का नाम विलोपित कर दिया इसलिए नामा0 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश निरस्त किया जावे।

अपील प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थीया ग्रामीण परिवेश की अनपढ महिला है तथा कानून की कोई जानकारी किसी प्रकार से नही रही। नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीया को जमाबंदी की नकल दिनांक 27.07.2021 को प्राप्त करने पर हुई है जानकारी होते ही अपील अवधि अन्दर अवधि पेश की है तथा अपील किये जाने में जानबूझकर कोई लापरवाही व गफलतवाजी नहीं की है। अपीलार्थीया से अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसे क्षमा किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। उनकी ओर से कोई जवाब पेश नही किया।

अपीलार्थीया की ओर से अपील के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्यार 46 ग्राम हिन्नोदा संवत 2076 की जमाबंदी, वयनामा दिनांक 0302.2012 शोकीन खां व अन्नो बहक श्यामबाबू यादव की प्रति तथा नकल नामान्तरकरण संख्या 226 दिनांक 5.5.12 की प्रमाणित प्रति पेश की।

तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 16.12.2024 में मुताबिक वयनामा दिनांक 03.02.2012 ग्राम हिन्नोदा ख.नं. 204/1 में श्रीमती अन्नो पुत्री बोबद खां पत्नि अजीज खां ने अपने हिस्से 1/5 रकवा 19.2 विस्वा में से 13 विस्वा भूमि का बेचान किया जाना अंकित किया है।

वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दुहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीया ने अपने हिस्सा 1/5 यानि 19.2 विस्वा में से 13 विस्वा यानि 2/15 भाग 0.1615 है0 भूमि का बेचान किया गया था इस प्रकार अपीलार्थीया की 1/15 भूमि शेष रही। परन्तु अपीलाधीन आदेश में संपूर्ण भूमि को रेस्पोडेन्टस संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया। अतः नामा0 संख्या 226 दिनांक 05.05.2012 ग्राम पुरानी छावनी को निरस्त किया जाकर सही नामान्तरण खोले जाने आदेश प्रदान किए जावे। रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीया की ओर से अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है। देरी का कोई स्पष्ट कारण अंकित नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट म्याद के बिन्दु पर खारिज योग्य है।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वकील रेस्पोडेन्टस ने अपील म्याद बाहर होना कथन करते हुए अपील खारिज करने का कथन किया है। वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थीया का अनपढ ग्रामीण परिवेश की महिला होना तथा कानूनी जानकारी नही होना कथन करते हुए देरी का क्षमा करने का कथन किया है। मा0 न्यायालयों द्वारा असंख्य प्रकरणों में अपील को म्याद के बिन्दु के बजाय गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने का मत व्यक्त किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

05 म्याद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा प्रति एंव नामान्तरकरण की प्रति का अवलोकन किया। वयनामा शौकीन खां, श्रीमती अन्नो व हसन बहक श्यामबाबू यादव दिनांक 03.02.2012 के मुताबिक श्रीमती ने अपने 1/5 भाग 19.2 विस्वा में से 13 विस्वा का बेचान श्यामबाबू को किया गया है। इस प्रकार 6.2 विस्वा आराजी अपीलार्थीया की शेष रहती है जबकि नामा0 अपीलार्थीया की संपूर्ण 1/5 भाग का रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज किया गया है। नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 05.05.2012 के कॉलम संख्या 11 में उक्त वयनामा का अंकन है जिसके तहत शौकीन, अन्नो व हसन के संपूर्ण 3/5 भाग को श्यामबाबू के नाम दर्ज किया गया है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 226 ग्राम हिन्नोदा को दर्ज किए जाने में भूल की गई है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पुरानी छावनी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 226 तारीखी 05.05.2012 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह पुनः जांच कर नियमानुसार सही नामान्तरकण खोले जाने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी